# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

राजस्व रिवीजन प्र.क्र. आर/12 R-1648-I/12

1. अनिल वर्मा आत्मज स्व.श्री एम.एल.वर्मा
2. आलोक वर्मा आत्मज स्व.श्री एम.एल.वर्मा
3. अर्चना वर्मा पुत्री स्व.श्री एम.एल.वर्मा

समस्त निवासी-टिकारी बैतूल .....रिवीजनकर्तागण

विरुद्ध

1. सुरेन्द्र पिता स्व.श्री सुंदरलाल वर्मा उम्र 65 वर्ष
2. गांधीचरण वर्मा पिता सुंदरलाल वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी-अम्बेड़कर वार्ड भुजलिया घाट रोड टिकारी बैतूल।
3. उपेन्द्र कुमार वर्मा पिता सुंदरलाल वर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी प्रतापपुरा टिकारी बैतूल ।
4. श्रीमती मालती वर्मा जौजे श्री रामकिशोर वर्मा 62 वर्ष निवासी-क्वां.नं.119,अशोका सोसायटी ई-7,अरेरा कालोनी,भोपाल।
5. श्रीमती शांति वर्मा जौजे श्री मधुसूदन वर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी-ग्राम जामठी तहसील व जिला बैतूल ।
6. संतोष वर्मा जौजे श्री सुरेश पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी-मलकापुर तहसील जिला बैतूल ।(मृत)
7. श्रीमती अनिता वर्मा जौजे अनिल चौधरी उम्र 43 वर्ष निवासी-प्रतापवार्ड टिकारी बैतूल।
8. श्रीमती रागिनी वर्मा जौजे श्री विजय वर्मा शिक्षक उम्र 36 वर्ष निवासी-पुराना इटारसी नाके के पास टिकारी बैतूल
9. श्रीमती रामशिला पटेल जौजे स्वर्गीय भिकारीलाल पटेल निवासी-पटेलपुरा पुरानी इटारसी जिला होशंगाबाद।
10. लक्ष्मीनारायण वर्मा पिता स्वर्गीय रामेश्वरप्रसाद वर्मा निवासी-टिकारी बैतूल। पता गलत
11. कांति वर्मा जौजे हरेन खत्री हाउसिंग बोर्ड कालोनी,होशंगाबाद।
12. विजयलक्ष्मी वर्मा जौजे महेश वर्मा निवासी-रसूलिया होशंगाबाद। पता गलत है।
13. साधना वर्मा जौजे रामकिशन वर्मा निवासी-मटन मार्केट के पास, कोठीबाजार बैतूल।
14. अक्षय वर्मा आत्मज राजकुमार वर्मा निवासी-महावीर वार्ड टिकारी बैतूल ।
15. विनोद वल्द तरसेमलाल मख पंजाबी निवासी-सारणी बैतूल।
16. राकेश वर्मा वल्द राजकुमार वर्मा निवासी-महावीर वार्ड टिकारी बैतूल।
17. धर्मेश साहू वल्द शंकरलाल साहू निवासी-टिकारी बैतूल।
18. हाकमसिंह वल्द माकलाल मेहरा टिकारी बैतूल .....अनावेदकगण

श्री यशवंत साहू अभिभाषक द्वारा दि. 31-5-12 को पेश किया गया। 31.5.12

निरन्तर....2

## राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन हैं :-

विद्वान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्वप्र.क्र.60/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2012 से व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब सादर समयावधि में प्रस्तुत है:-

## प्रकरण के संक्षिप्त सुसंगत तथ्य

01. यह कि प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि गैर रिवीजनकर्ता क्रमांक-1 ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश कर ग्राम टिकारी जिला बैतूल की संशोधन पंजी क्रमांक 1098 दिनांक 15.04.1982 संशोधन पंजी क्रमांक 124 दिनांक 22.12.2005, संशोधन पंजी क्रमांक 17 दिनांक 26.10.2006 एवं संशोधन पंजी क्रमांक 18 दिनांक 26.10.2006 पेश किया जिसे उन्होंने वास्तविक परिस्थितियों, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन, परिशीलन, विवेचन,विश्लेषण किये बगैर वैधानिक प्रावधानों को बला-ए-ताक पर रखकर एकपक्षीय मानसिकता एवं एकांगी दृष्टिकोण से आदेश दिनांक 02.03.2012 द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जिससे परिवेदित एवं असंतुष्ट होकर अग्रांकित मुख्यतः सारभूत, वैधानिक आधारों पर रिवीजन पेश है ।

## मुख्यतः सारभूत वैधानिक आधार

02. यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि, वैधानिक प्रक्रिया एवं सहज न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है।

03. यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पत्रिका में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन, परिशीलन, विवेचन, विश्लेषण किये बगैर ही प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है।

04. यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने रिवीजनकर्तागण को अपने युक्ति-युक्त पक्ष समर्थन साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर ही प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित करने में महान् गंभीर वैधानिक त्रुटि की है।

05. यह कि विधि का सुस्थापित मान्य सिद्धांत है कि चारों संशोधन पंजी 1098 दिनांक 15.04.1982, 124 दिनांक 22.12.2005, 17 दिनांक

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक R-1648-I/12

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28-03-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।<br><br>अध्यक्ष | |